



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office

भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066
Bhavishya Nidhi Bhawan , 14, Bhikaji Cama Place, New Delhi -110066
www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं. पीक्यू/6(131)2017/कैलेंडर/6258-60

दिनांक: 04.07.2017

सेवा में,

सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय, अंचल एवं पी.डी.यू.एन.ए.एस.एस.),
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षे.का. एवं मुख्यालय के प्रभारी

विषय : 16 वीं लोकसभा के बारहवें सत्र तथा राज्य सभा के 243वें सत्र (मानसून सत्र, 2017) के दौरान प्रश्नों का जवाब देने के लिए बैठकें तथा दिनों के आबंटन संबंधी कैलेंडर ।

महोदय,

लोकसभा एवं राज्यसभा की अधिकारिक वेबसाइट पर दी गई सूचना के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि 16वीं लोकसभा का बारहवां सत्र तथा राज्यसभा का 243वां सत्र (संसद का मानसून सत्र, 2017) 17 जुलाई, 2017 (सोमवार) से आरंभ हो रहा है तथा यह सत्र 11 अगस्त, 2017 (शुक्रवार) तक जारी रहेगा । प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्रालय को आबंटित दिनों का विवरण इस प्रकार है :-

प्रश्न

विवरण	लोकसभा	राज्यसभा
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को आबंटित संसदीय प्रश्न के दिन	<u>सोमवार</u> 17 जुलाई, 2017 24 एवं 31 जुलाई, 2017 *7 अगस्त, 2017	<u>बुधवार</u> 19 एवं 26 जुलाई, 2017 02 एवं 09 अगस्त, 2017
निजी सदस्यों के संकल्प के लिए आबंटित दिन	<u>शुक्रवार</u> 28 जुलाई, 2017 11 अगस्त, 2017	<u>शुक्रवार</u> 28 जुलाई, 2017 11 अगस्त, 2017
निजी सदस्यों के विधेयक के लिए आबंटित दिन	<u>शुक्रवार</u> 21 जुलाई, 2017 04 अगस्त, 2017	<u>शुक्रवार</u> 21 जुलाई, 2017 04 अगस्त, 2017

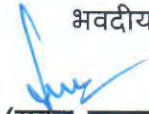
*7 अगस्त, 2017 सोमवार, कोई बैठक नहीं - रक्षाबंधन (अवकाश)

2. इस परिप्रेक्ष्य में, यह अनुरोध किया जाता है कि संसदीय प्रश्नों के उत्तर तैयार करने में किसी भी प्रकार की देरी से बचने के लिए अपेक्षित सूचना / सामग्री को rc.pqcell@epfindia.gov.in पर ई-मेल के माध्यम से एवं फैंक्स के द्वारा 011-26100314 पर भी भेजा जाए। साथ ही, यह सुझाव भी दिया जाता है कि मामले में किसी अन्य प्रकार की अतिरिक्त सूचना के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधिकारिक वेबसाइट को दैनिक आधार पर देखा जाए। क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त का यह दायित्व है कि वह सुनिश्चित करें कि हार्ड कॉपी एवं ई-मेल के उत्तर एक समान हों।

3. पूर्व में यह देखा गया है कि कभी - कभी संसदीय प्रश्न बहुत ही अल्प सूचना पर प्राप्त होते हैं। अतः, यह अनुरोध किया जाता है कि सभी संबंधित यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीन कार्यरत अधिकारी/स्टाफ उक्त अवधि के दौरान कार्यालय में उपस्थित रहें।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,



(सुब्रत कुमार)

क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त-1 (संसदीय प्रश्न)

प्रतिलिपि:

1. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एन.डी.सी.) - वेब पर अपलोड करने हेतु।
2. मुख्यालय के सभी अनुभाग।